बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

अ0नि0(01)61 / 2025 / स्था0 2571 / पटना, दिनांक 10/12/25

बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (जारी करना, तामील एवं निष्पादन) नियमावली, 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 64 की उप–धारा (1) तथा धारा 530 के खंड (i) और बिहार राज्य में इसके अनुप्रयोग से संबंधित अन्य सशक्त प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

नियमावली

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इस नियमावली को बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (जारी करना, तामील एवं निष्पादन) नियमावली, 2025 कहा जा सकेगा और यह नियमावली बिहार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2. इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "सी०सी०टी०एन०एस०" से अभिप्रेत है, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली, एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसका पुलिस द्वारा डेटा संग्रह और निर्देशों के निष्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(ख) "सी०आई०एस०" से अभिप्रेत है, वाद सूचना प्रणाली, जिसका उपयोग जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों द्वारा डेटा संग्रह और निर्देशों के निष्पादन के लिए किया जाता है;

(ग) "प्रकटीकृत इलेक्ट्रॉनिक मेल पता" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संगठन के उस ई–मेल खाते से है जिसका उपयोग उस व्यक्ति या संगठन द्वारा इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और जिसे ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी वेबसाइट या पोर्टल पर स्वीकार किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो;

(घ) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" से वही अभिप्रेत होगा जो संहिता की धारा 2(1)(i) में समनुदेशित है;

(ङ) "ई हस्ताक्षर" से अभिप्रेत है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणीकरण, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार की गयी किसी आदेशिका या रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक ई हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित माना जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किया हो;

(च) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय, पटना;

(छ) "आदेशिका" में समन, वारंट या संहिता के द्वितीय अनुसूची में बताये गये अन्य प्रपत्र सम्मिलित हैं; जिसमें संहिता में यथा उल्लिखित हरेक वाद की परिस्थिति की जरूरत के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता हैं;

(ज) "संहिता" से अभिप्रेत है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46);

(झ) "सील" से अभिप्रेत है न्यायालय की मोहर की छवि;

(ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ट) "समन" से अभिप्रेत है संहिता के अंतर्गत जारी किया गया कोई समन;

(ठ) "वारंट" से अभिप्रेत है संहिता के तहत जारी किया गया वारंट और जिसमें जमानती व गैर–जमानती वारंट सम्मिलित हैं।

(ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्हीं शब्दों और अभिव्यक्तियों को, यदि परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनसे वही अभिप्रेत होगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 47) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21) में उनके लिए किया गया है।

आदेशिका का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और जारी किया जाना

3. न्यायालय, संहिता की दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ, सी०आई०एस० के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदेशिका तैयार और जारी करेंगे। ऐसी आदेशिका का तामील इसे जारी करने वाले न्यायालय के पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

तामील का वैकल्पिक तरीका

4. जब न्यायालय के पास उस व्यक्ति का अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक पता/संपर्क विवरण न हो या नियम 3 के अनुसार जारी की गयी आदेशिका का तामील न हुआ हो तो उसे पुलिस पदाधिकारी या अन्य लोक सेवक को तामील करने का आदेश दे सकेंगे।

भाषा और सुरक्षा

5. प्रत्येक आदेशिका जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में संहिता के तहत जारी की जाती है, सामान्यतः न्यायालय की भाषा में होगी और अनधिकृत पहुँच या छेड़छाड़ रोकने के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के मानकों के अनुरूप कूटबद्ध (एन्क्रिप्टेड) रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उस पर न्यायालय की सील और ई हस्ताक्षर होगा।

आदेशिका की अधिप्रमाणिकता

6. इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी प्रत्येक वारंट में ई हस्ताक्षर इस प्रकार होगा कि न्यायालय का नाम और हस्ताक्षरकर्ता या अभिदाता किस हैसियत से कार्य कर रहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख हो। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किये गये समन पर न्यायालय की मुहर और न्यायालय के उपयुक्त पदाधिकारी या रीडर या इस संबंध में लिखित रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के ई हस्ताक्षर अंकित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के ई हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और उस पर न्यायालय की मुहर भी होगी।

वैधता की परिकल्पना

7. जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी आदेशिकाएँ किसी सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से, एन्क्रिप्टेड या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम में सी०सी०टी०एन०एस० पर प्राप्त होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि वे न्यायालय द्वारा जारी की गयी हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी आदेशिका के किसी प्रिंट आउट का वही प्रभाव होगा जो उसके उद्देश्य हेतु मूल से जारी किया गया है।

संपर्क विवरण का सत्यापन

8. थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी या गवाहों (जैसा मामला हो) का, सत्यापित किया गया पता, इलेक्ट्रॉनिक पते, ई–मेल पता, फोन नबंर तथा प्रयुक्त संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) से संबंधित सत्यापित विवरण गिरफ्तारी, जाँच या पूछताछ के दौरान अभिलेखित किए जाएँ और उन्हें सी०सी०टी०एन०एस० में दर्ज किया जाएगा। ऐसे विवरणों को संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) के अनुपालन में थाने में संधारित पंजी में भी दर्ज किया जाएगा। यदि ऐसे किसी विवरण की उपलब्धता नहीं है, तो थानाध्यक्ष पंजी में इस आशय का उल्लेख करेंगे।

परन्तु, ऐसे किसी भी विवरण में संशोधन आगे के सत्यापन या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर किया जा सकेगा।

निजी व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की अपेक्षा

9. जहाँ कोई मामला निजी शिकायत के आधार पर दायर किया जाता है, वहाँ शिकायतकर्ता को शिकायतपत्र के साथ आरोपी तथा गवाहों के पते, प्रकटीकृत किए गए इलेक्ट्रॉनिक पते, ई–मेल पता, फोन नंबर और प्रयुक्त संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) से संबंधित विवरण शिकायत के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यदि ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, तो शिकायतकर्ता इस आशय का उल्लेख करेगा।

डेटा का प्रेषण और भंडारण

10. पता, प्रकट किया गया इलेक्ट्रॉनिक पते, ई–मेल पता, फोन नंबर और संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) से संबंधित विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित किया जाएगा और उन्हें सी०आई०एस० में संधारित किया जाएगा, तथा इन्हें आदेशिका जारी करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा। ऐसे डिजिटल विवरण संहिता की धारा 64 के अंतर्गत रखे जाने वाले पंजी का हिस्सा होंगे।

पीड़ित की पहचान की सुरक्षा

11. पीड़ित तथा गवाहों के प्रकटीकृत किए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते, फोन नंबर और संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) से संबंधित विवरण आरोपी को प्रकट नहीं किए जाएंगे।

थानाध्यक्ष का कर्तव्य

12. थानाध्यक्ष या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी, नियम 4 के अंतर्गत जारी किए गए समन की प्राप्ति पर, उसे समन किए गए व्यक्ति के प्रकट किए गए इलेक्ट्रॉनिक पते, ई–मेल पता, फोन नंबर या संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) पर अग्रेषित कर सकेगा।

तामील का प्रमाण

13. तामील का प्रमाणः

(1) जहाँ समन इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं, वहाँ यदि सेवा प्रदाता द्वारा सुपुर्दगी की पावती जारी की जाती है, तो समन का तामील किया गया माना जाएगा।

(2) जब किसी व्यक्ति या संगठन को प्रकट किए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते पर समन भेजा जाता है, तो यदि ई–मेल का तामील किसी कारणवश बाधित नहीं होता है अथवा वह असुपुर्द नहीं रहता या वापस नहीं लौटता (बाउंस नहीं होता), तो ऐसे समन के तामील को प्रभावी माना जाएगा; और जब तक इसका प्रतिकूल प्रमाण न दिया जाए, यह माना जाएगा कि मेल उसी समय प्रभावी रूप से तामील हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक मेल संचारित हुआ।

मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से तामील

14. मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से तामील :

(1) जहाँ समन किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण जिसमें संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) भी शामिल है, के माध्यम से भेजा जाता है, वहाँ प्राप्ति की पावती तामील की रिपोर्ट का हिस्सा होंगे और उस रिपोर्ट में मोबाइल नंबर, प्रयुक्त संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) का नाम तथा संप्रेषण का तामील दर्शाने वाला स्क्रीनशॉट/फोटो सहित विवरण सम्मिलित किया जाएगा।

(2) ऐसे तामिला को समन/आदेशिका का विधिवत तामील माना जा सकेगा, और समन/आदेशिका की एक प्रति तामील की रिपोर्ट सहित अभिलेख में समन/आदेशिका के तामील के प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम या नियम 14 के अतंर्गत पावती में निम्नलिखित को शामिल माना जाएगा–

(क) प्रेषिती द्वारा किया गया कोई भी संप्रेषण, चाहे वह स्वचालित हो या अन्यथा;

या

(ख) प्रेषिती का कोई ऐसा आचरण, जो प्रेषक को यह संकेत देने के लिए पर्याप्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त कर लिया गया है।

सत्यापित विवरण की अनुपलब्धता

15. यदि समन किए गए व्यक्ति से संबंधित ई–मेल पता, फोन नंबर या संदेश अनुप्रयोग के सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो थाना प्रभारी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी इस संबंध में एक प्रविष्टि करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी समन का प्रिंट आउट दो प्रतियों में निकाल कर, संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी तामील करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई मेल) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम से तामील में व्यवधान की स्थिति में प्रक्रिया

16. जब समन इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई–मेल) या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम से तामील नहीं हो पाता अथवा तामील बाधित हो जाता है, अथवा किसी भी कारण से ई–मेल/संदेश तामील नहीं होता या वापस लौट आता है (बाउंस हो जाता है), तो संबंधित पदाधिकारी इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें मोबाइल नंबर, प्रयुक्त संदेश अनुप्रयोग (मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) तथा तामील की पुष्टि से संबंधित स्क्रीनशॉट/फोटो सहित सभी विवरण सम्मिलित होंगे और वह पदाधिकारी लागू प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्यवाही कर सकेगा।

वारंट का निष्पादन

17. यदि कोई वारंट या कोई अन्य आदेशिका, जिसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तामील करना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाती है, तो थाने का प्रभारी पदाधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस पदाधिकारी उस वारंट या आदेशिका का प्रिंटआउट लेगा और संहिता तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उसका निष्पादन करेगा।

आदेशिका का भौतिक निष्पादन

18. जहाँ कोई आदेशिका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से तामील या निष्पादित की जाती है, वहाँ पुलिस पदाधिकारी तामील/निष्पादन करते समय प्राप्तकर्ता से पावती प्राप्त करेगा और उसका फोटोग्राफ भी ले सकेगा, जो तामील की रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

न्यायालय को तामील रिपोर्ट का प्रेषण	19.	वारंट का विधिवत निष्पादन या निष्पादन नहीं होने पर, संबंधित पुलिस स्टेशन का तामील करने वाला पदाधिकारी तामील के साथ जमानत बांड, फोटोग्राफ, पावती (यदि कोई हो) सहित संबंधित दस्तावेजों को सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित न्यायालय को प्रेषित करेगा।
तामील रिपोर्ट पर न्यायालय की कार्रवाई	20.	नियम 19 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय, जैसा उपयुक्त समझे, वैसी कार्रवाई कर सकता है। ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्ट के प्रिंटआउट को आदेशिका के तामील/निष्पादन के संबंध में संपुष्टि के प्रयोजनार्थ मूल माना जाएगा।
संवेदनशील मामलों के लिए विशेष प्रावधान	21.	जहाँ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 54 से 71 के अंतर्गत अपराधों अथवा किसी महिला या बालक के विरुद्ध अपराधों, अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, के अंतर्गत अपराधों से सबंधित मामलों में कोई आदेशिका जारी की जाती है, वहाँ संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेशिका के तामील या निष्पादन के दौरान पीड़ित की पहचान किसी भी प्रकार से उजागर न हो।
व्यावृत्ति खण्ड	22.	इस संबंध में बनाया गया कोई भी नियम पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेशिकाओं के जारी करने, तामील करने एवं निष्पादन करने के लिए बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या अन्य कानून के अतिरिक्त होगा न कि उसके अल्पीकरण में।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/12/25

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)....2571..../ दिनांक....10/12/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटन को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)....2571..../ दिनांक....10/12/25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को ई–गजट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)......2571............/ दिनांक..10/12/25/

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)......2571............/ दिनांक..10/12/25/

प्रतिलिपिः– विद्वान महाधिवक्ता, बिहार एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)......2571............/ दिनांक..10/12/25

प्रतिलिपिः– भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)61/2025(स्था0)......2571............/ दिनांक..10/12/25/

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

Government of Bihar
Home Department

Notification

Pro.Dir. (01)61/2025/Estt....2571. / Patna, Dated...10./12./25

The Bihar Electronic Process
(Issuance, Service and Execution) Rules, 2025

In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 64 and of clause (i) of Section 530, and other enabling provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023), in its application to the State of Bihar, the State Government, hereby, makes the following Rules, namely,

Short title and commencement

1. These rules may be called the Bihar Electronic Process (Issuance, Service and Execution) Rules, 2025, and they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Bihar.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires:

   a) "CCTNS" means Crime and Criminal Tracking Network and System, a system software used by Police for the collection of data and execution of instructions;

   b) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary and High Courts for the collection of data and execution of instructions;

   c) "Disclosed Electronic Mail Address" means the E-mail account of a person or organization that is used by the person or organization to send and receive messages over internet, and is shown to be admitted, or provided by such person or organization either personally or on a website or portal;

   d) "Electronic Communication" shall have the same meaning as assigned in Section 2 (1) (i) of the Sanhita;

   e) "eSign" means authentication of any electronic record by a subscriber or Court by means of an electronic technique specified in Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic

form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;

f) "High Court" means the High Court of Judicature at Patna;

g) "Process" includes summons, warrant or any other forms set forth in the Second Schedule of the Sanhita, with such variations as the circumstances of each case may require, issued for the respective purposes as mentioned in the Sanhita;

h) "Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023);

i) "Seal" means image of the seal of the Court;

j) "State Government" means the Government of Bihar;

k) "Summons" means any summons issued under the Sanhita;

l) "Warrant" means a warrant issued under the Sanhita and includes bailable warrant and non-bailable warrant.

m) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023), the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act No. 47 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000).

Electronic generation and issuance of process

3. The Courts shall generate and issue process in electronic mode through CIS in such forms as set forth in the Second Schedule of the Sanhita, with such variations as the circumstances of each case may require. Such process shall be served by an officer of the Court issuing it.

Alternate mode of service

4. When the Court does not possess required electronic address/contact details of the person to whom such process is intended to be served or when the process

issued as per rule 3 is not served, it may direct the same to be served by a police officer or any public servant.

Language and security

5. Every process issued in form of electronic communication under the Sanhita must ordinarily be written in the language of the Court and shall be in an encrypted form of electronic communication using standards, compliant with the Information Technology Act, 2000 to prevent unauthorized access or tampering and shall bear the image of the seal of the Court and eSign.

Authentication of process

6. Every process issued electronically shall contain eSign in such a manner that the name of the Court and the capacity in which the signatory or subscriber acts, should be clearly mentioned. The summons generated in electronic form shall bear the seal of the court and eSign of the appropriate officer of the Court or the Reader or any person authorized in writing in this regard as the case may be. Every warrant of arrest in electronic form shall be issued by eSign of the Presiding Officer of the Court and shall also bear the seal of the Court.

Presumption of validity

7. Where the processes generated in electronic form are received on CCTNS through a secured system, in an encrypted or any other form of electronic communication, it shall be presumed to be issued by the Court. Further, any printout of such process shall have the same effect as issued in original for the purpose of its execution.

Verification of contact details

8. The Officer-In-charge of the Police Station shall ensure that the verified details relating to address, disclosed electronic mail address, phone number and messaging application used by the accused or witnesses, as the case may be, are recorded during arrest, investigation or inquiry and entered in CCTNS. Such details shall also be entered in the register maintained at the Police Station in compliance with sub-section (1) of Section 64 of the Sanhita. If any of such details is not available, the Officer-in-charge of the Police Station shall make an endorsement to that effect in the register.

Provided that any such details may be amended on the basis of further verification or on the basis of an application by such person.

Requirement of complaints made by private individuals

9. Where a case is filed on the basis of a private complaint, the complainant shall provide the details relating to address, disclosed electronic mail address, phone number and messaging application of the accused and witnesses along with the complaint. If any of such information is not available, the complainant shall make an endorsement to that effect.

Transmission and storage of contact data

10. The details relating to address, disclosed electronic mail address, phone number and messaging application shall be transmitted in electronic form and maintained in CIS may be used for issuance of process. Such digital information shall form part of the register under Section 64 of the Sanhita.

Protection of victim identity

11. The details relating to disclosed electronic mail address, phone number and messaging application of the victim and witnesses shall not be disclosed to the accused.

Duty of the Officer-In-Charge of the Police Station

12. The Officer-In-charge of the Police Station or any Sub-ordinate Officer deputed by him upon receipt of summons issued in pursuance of rule 4 may forward the summons on the disclosed electronic mail address, phone number or messaging application of the person summoned.

Proof of service

13. Proof of Service:
    1) Where summons are served by way of electronic mail, service shall be deemed to have been made if the service provider generates acknowledgement of the delivery.
    2) When any summon is sent to a person or organization on disclosed electronic mail address, unless the delivery of the electronic mail is disrupted or bounced back for any reason whatsoever, the delivery shall be deemed to be effected; and unless the contrary is proved, be

deemed to have been effected at the time at which the electronic mail would be delivered.

Service via messaging applications

14. Service via messaging applications:

1) Where summons are served by way of any other electronic communication including messaging application, the acknowledgement shall form part of the report of the service and the report shall contain details including mobile number, messaging application and screenshot/photo of the application reflecting delivery of the communication.

2) Such delivery may be deemed to be due service of summons/process and a copy of such summons/process along with report of service shall be kept in record as a proof of service of summons/process.

Explanation: Acknowledgement under this rule include an acknowledgement given by,

a) any communication by the addressee, automated or otherwise, or

b) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received.

Non availability of verified details

15. In case verified details of the email address, phone number or messaging application relating to the person summoned are not available, the officer-in-charge of the police station or any police officer deputed, shall make an entry in that regard and after taking printout in duplicate of the summons issued in electronic mode, shall execute the same in accordance with procedure prescribed under the Sanhita.

Procedure in case of disruption of service of electronic mail or other mode of electronic communication, or delivery

16. When summons are not served by an electronic mail or other mode of electronic communication, or delivery is disrupted and undelivered or bounced back for any other reason, the concerned officer shall prepare a report in that regard containing all details including mobile number, messaging application and screenshot/photo of the

application, confirmation of delivery and may proceed as per applicable process.

Execution of warrant

17. In case of warrant or any other process required to be served in person is issued in electronic mode, the officer-in-charge of the police station or any police officer deputed by him shall take a printout of the warrant or process and execute the same in accordance with the Sanhita and rules made therein.

Physical execution of process

18. Where any process is served or executed other than through electronic mode, the Police Officer while making service or, executing the process shall take acknowledgement of the Recipient and may capture photograph, which shall form part of the report of the service.

Transmission of service report to Court

19. Upon due service or non-service of the warrant, the serving officer of the concerned Police Station shall transmit the service along with relevant documents including bail bonds, photographs, acknowledgement, if any, to the concerned Court in electronic form through CCTNS.

Court's Action on Service Reports

20. The Court, upon receiving the report in electronic form under rule 19, may act upon such report as deemed appropriate. Such report or printout of such report shall be deemed to be original for the purpose of satisfaction as the service/execution of the process.

Special provision for sensitive cases

21. Where any process is issued in cases relating to offences under sections 54 to 71 of The Bharatiya Nyaya Sanhita (Act No. 45 of 2023) or offences against woman or child or offences under The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the concerned officer shall ensure that the identity of the victim is not revealed in any manner in course of service or execution.

Saving Clause 22. Any rule made in this behalf shall be in addition to, not in derogation of, any other law or rules made by the High Court to specify for the time being in force for issuance, service and execution of process by the Court.

By the order of The Governor of Bihar

10/12/25

(Sudhanshu Kumar Choubey)
Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..2571.. / Patna, Dated ...10../..12../25

Copy Forwarded to :- Superintendent Secretariat Printing Press, Guljarbag, Patna with C.D. right Copy with request to publish in extraordinary issue of Bihar Gazette and provide 500 copies to this department.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..2571.. / Patna, Dated ..10../..12../..25/

Copy Forwarded to :- Incharge Officer, e-gazette cell finance department with C.D. right Copy with request to publish above notification in e-gazette.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..2571.. / Patna, Dated ..10../..12../..25

Copy Forwarded to :- Principal Secretary of Governor/ Principal Secretary of Chief Minister/ All Additional Chief Secretary/ All Principal Secretary/ Director General of Police/ All Secretary/ All Head of Department/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrate/ All Senior Superintendent of Police/ All Superintendent of Police, Bihar for information and necessary action.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..... / Patna, Dated ...../

Copy Forwarded to :- Advocate General of Bihar and Registrar General, The High Court of Judicature at Patna for information and necessary action.

10/1/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..... / Patna, Dated ...../

Copy Forwarded to :- Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi for information.

10/1/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)61/2025/Estt..... / Patna, Dated ...../

Copy Forwarded to :- I.T Manager, Home Department, Bihar/Programmer, Directorate of Prosecution, Bihar for information and necessary action.

10/1/25

Special Secretary-cum-incharge Director